



कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)


यूनिपोल साइज 16' X 8' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की
लाईसेन्स की शर्तें नीलामी वर्ष : अगस्त 2010-11

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. जन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक्-पृथक् साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल साइट की नीलामी एक वर्ष (1 सितम्बर 2010 से 31 अगस्त 2011) तक के लिए की जावेगी, जिसकी साइज 16X8 फीट स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक यूनिपोल साइट के लिए पांच हजार रुपये बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में स्थायोंचित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानत राशि नीलामी के पश्चात वापिस कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त भौक पर ही निःम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असकल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अद्योत्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेन्स जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 1 सितम्बर 2011 से 31 अगस्त 2012 के लिए नीवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृत जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इस प्रकार 2012 से 31 अगस्त 2013 तक के नवीनीकरण के लिए पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृत जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेवग निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. साइट नीलामी की जावेगी जाने के पश्चात यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात अपनी दिखित आपत्ति पद्धति दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात यह मान जावेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तनुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
8. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना के यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके केरी व्यवित जिसमें नीकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नागर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
9. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर यूनिपोल नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगा गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधिनिकीकरण की दुष्टि से इन यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं उसी के अनुरूप इनका संधारण (खरखाब) किया जावेगा।

my
Octon-Aug 2010-11

12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिन्न का भुगतान लाईसेन्सी को बहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी रूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावगा।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दाखिल होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपद्धति जैसे आंधी, तुफान आदि की रिथित में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावगा कि यूनिपोल की दो खरेख करने का सार्वौं दायित्व अनुज्ञापत्रधारी की होगी। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम वी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी जयपुर नगर निगम जयपुर, विज्ञापन उपविधियाँ- 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञे गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम तमिति/बोर्ड को की जा सकी जिसका निर्णय अंतिम होगा।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कहांा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी लाईरेक्ट शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का अन्तर्लिङ्गन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका बहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्व अधिनियम-1959 या पब्लिक रिकवरी एकट के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन रामस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य रिपोर्ट में कोई राशि वापस नहीं होगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित/यातायात में बाधक में किसी साइट को हटाना या शिपट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो तो के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की रिथित में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने वाली कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय निगम विज्ञापन समिति का होगा जो मान्य होगा।
28. सभी यूनिपोल सिलवर रेंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।


लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम



कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, अगस्त 2010-11
साईज 16' X 8' फुट
मोतीझुंगरी जोन

क्र. सं.	साइट नम्बर	स्थान का विवरण	
1.	MDZ-02	टोक रोड, अशोक मार्ग, स्लिप लाईन पर एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
2.	MDZ-10	टोक रोड, सूचना केन्द्र के सामने आरोग्य मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।	
3.	MDZ-14	टोक रोड, नारायण सिंह तिराहा तोतुका भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर अजमेरी गेट की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
4.	MDZ-42	शान्ति पथ, तिलक नगर, बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
5.	MDZ-49	मोतीझुंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर दक्षिणी पश्चिमी कोने पर फुटपाथ पर पार्क की दीवार के सहारे।	
6.	MDZ-57	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे के पास पश्चिमी दक्षिणी कोने पर।	
7.	MDZ-59	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानांतर मालवीय नगर की ओर से वि.प.नं. 1।	
8.	MDZ-69	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट के पास पश्चिम की ओर।	NEW
9.	MDZ-70	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महावीर उद्यान की दीवार के पास।	NEW
10.	MDZ-73	हिम्मत नगर आर.ओ.बी. (भास्कर के पास) से गांधी नगर स्टेशन रोड पर सरस पालर के सामने रेल्वे दीवार के पास फुटपाथ पर।	NEW
11.	MDZ-75	बजाज नगर एनकलेव स्कीम के सामने रेल्वे क्वार्टर के बाहर रेल्वे दीवार के पास आर.ओ.बी. देखते हुए।	NEW
12.	MDZ-78	जवाहर नगर सैक्टर-7 के पास बने सुलभ शौचालय के बाहर कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
13.	MDZ-79	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, रिलायन्स पैट्रोल पम्प से थोड़ा आगे मंदिर की दिवार के पास।	NEW
14.	MDZ-80	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, जगतपुरा ROB से पहले वन विभाग की दिवार के पास बने फुटपाथ पर ROB देखते हुए।	NEW



कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, अगस्त 2010-11

साईंज 16' X 8' फुट

विद्याधर नगर जोन

क्र. सं.	साइट नंबर	स्थान का विवरण	
1.	VDZ-03	झोटवाडा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर।	
2.	VDZ-14	विद्याधर नगर निर्माण विहार से ३ के आगे सिने स्टार चौराहे के पास दक्षिण-पश्चिमी ओर	
3.	VDZ-15	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
4.	VDZ-20	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टावर्स के तिराहे के टी-पोइंट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.नं. 1	
5.	VDZ-25	विद्याधर नगर, नया खेड़ा के पास खण्डेलवाल टावर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल कैटर्स के पास उत्तरी-पश्चिमी कोने पर।	
6.	VDZ-40	झोटवाडा रोड पानीपेच तिराहे से पहले नेहरू नगर जाने वाले रास्ते के सामने इन्द्रा पार्क की दीवार के समानान्तर।	
7.	VDZ-43	वलेक्टरी सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानान्तर शिव मार्ग की ओर।	
8.	VDZ-45	जयसिंह हाईवे रोड, फायर स्टेशन, चिंकारा केंटीन के सामने तिराहे पर।	
9.	VDZ-47	झोटवाडा रोड, चांदपोल शमशान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुए।	NEW
10.	VDZ-50	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी-पोइंट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुए।	NEW
11.	VDZ-51	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के पश्चिमी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	NEW
12.	VDZ-52	विद्याधर नगर रोड, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	NEW
13.	VDZ-53	विद्याधर नगर रोड, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी कोने के फुटपाथ पर।	NEW
14.	VDZ-54	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के दक्षिण पूर्वी कोने के फुटपाथ पर नया खेड़ा के सामने।	NEW



कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, अगस्त 2010-11

साईज 16' X 8' फुट

मानसरोवर जोन

क्र. सं.	साइट नम्बर		स्थान का विवरण	
	नये	पुराने		
1.	MSZ-07	SNZ-17	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग, चौराहे के उत्तरी पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
2.	MSZ-09	SNZ-19	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग, चौराहा के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
3.	MSZ-12	SNZ-27	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुए।	
4.	MSZ-13	SNZ-29	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउण्ड्रीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते वि.प.नं. 2	
5.	MSZ-17		गोपालपुरा बाईपास रोड, गोपालपुरा स्कूल की दिवार के पास गोपालपुरा ROB देखते हुए।	
6.	MSZ-20	CLZ-80	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के सामने संतोष नगर के कोने पर मानसरोवर देखते हुए वि.प.नं. 2	
7.	MSZ-25		गोपालपुरा बाईपास रोड, न्यू आतिश मार्केट के गेट के पहले पुलिया के पास फुटपाथ पर गुरुजर की थड़ी देखते हुए।	
8.	MSZ-26		गोपालपुरा बाईपास रोड, न्यू आतिश मार्केट के गेट के पास बने मंदिर की दीवार के पास संतोष नगर देखते हुए।	
9.	MSZ-34	SNZ-07	मानसरोवर, शिंप्रा पथ पर केजीपी स्कूल के पहले पश्चिमी ओर खाली पड़ी भूमि पर शिंप्रा पथ देखते हुए।	
10.	MSZ-45		जवाहर लाल नेहरू मार्ग, लाल बहादुर नगर पश्चिम जाने वाले मार्ग पर प्लाट नं. ए-6 के बाहर फुटपाथ पर जवाहर सर्किल देखते हुए।	NEW
11.	MSZ-46		जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ड ट्रेड सेंटर के सामने नाले के पुलिया के पास फुटपाथ पर आर.ओ.बी. देखते हुए।	NEW

आमेर जोन

क्र. सं.	साइट नम्बर		स्थान का विवरण	
	नये	पुराने		
1.	AMZ-02	HMZ(W)-05	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 3।	
2.	AMZ-03	HMZ(W)-08	आमेर, होटल के के. रॉयल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंति रंगमंच की दीवार के पास साइट सं. एच एम वेस्ट 7 के बी शेप में कुण्डा देखते हुए।	
3.	AMZ-04	HMZ(W)-11	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति किलनीक के पास पूर्व की ओर बने स्लीप लाइन के पास बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर।	



कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, अगस्त 2010-11

साईज 16' X 8' फुट

हवामहल (पूर्व)

क्र. स.	साइट नम्बर	स्थान का विवरण	
1.	HMZ (E) -16	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानान्तर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर गोविंद मार्ग देखते हुए।	

सांगानेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	स्थान का विवरण	
1.	SNZ-42	टॉक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टॉक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
2.	SNZ -53	टॉक रोड सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पालर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुए।	
3.	SNZ -54	टॉक रोड, प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग के चौराहे पर पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखता हुआ।	

सिविल लाईन जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	स्थान का विवरण	
1.	CLZ - 50	सिरसी रोड, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर से वि.प.नं. 1	
2.	CLZ - 51	सिरसी रोड, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर से वि.प.नं. 2	
3.	CLZ - 61	वैशाली नगर, क्वीस रोड, प्रिंस मार्ग के सामने मिलेकटी की दीवार के साहरे।	
4.	CLZ - 64	हवा सड़क, गीजगढ़ हाउस के सामने सोडाला देखते हुए।	
5.	CLZ - 86	अशोक मार्ग, सी-स्कीम, अहिंसा सर्किल पर मेलबोर्न हाउस के गेट के पास फुटपाथ पर सुभाष मार्ग की ओर से समानान्तर वि.प.नं. 1	
6.	CLZ - 96	जमना लाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक दक्षिणी ओर फुटपाथ पर जय गुरुदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुए वि.प.नं. 1	NEW
7.	CLZ - 97	जमना लाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक आर.ओ.बी. की ओर फुटपाथ पर जय गुरुदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुए वि.प.नं. 2	NEW
8.	CLZ - 98	रेल्वे स्टेशन हसनपुरा पुलिया, परिवहन मार्ग कल्पना ट्रेवल्स के सामने, रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, कियोस्क के पास, हसनपुरा आर.ओ.बी. की ओर से वि.प.नं. 1	NEW
9.	CLZ - 99	रेल्वे स्टेशन हसनपुरा पुलिया, परिवहन मार्ग कल्पना ट्रेवल्स के सामने, रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, कियोस्क के पास, वि.प.नं. 2	NEW